

29.5.18 पञ्जावली पेश हुई। वकील अरिफ सिद्दीक अउर अमरिन्दर सिन्हा द्वारा दस्तावेजीकरण एवं रजिस्ट्रार अफिस में प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाये। पञ्जावली वाले तलबी प्रविष्टि के दिनांक 20.6.18 को पेश हो।

नोटिस  
101/3  
715-13

20/6/18 पञ्जावली पेश हुई। वकील अरिफ सिद्दीक अउर अमरिन्दर सिन्हा द्वारा दस्तावेजीकरण एवं रजिस्ट्रार अफिस में प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाये। पञ्जावली वाले तलबी प्रविष्टि के दिनांक 5/9/18 को पेश हो।

5/9/18 पञ्जावली पेश हुई। वकील अरिफ सिद्दीक अउर अमरिन्दर सिन्हा द्वारा दस्तावेजीकरण एवं रजिस्ट्रार अफिस में प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाये। पञ्जावली वाले तलबी प्रविष्टि के दिनांक 24.10.18 को पेश हो।

24.10.18 पञ्जावली पेश हुई। वकील अरिफ सिद्दीक अउर अमरिन्दर सिन्हा द्वारा दस्तावेजीकरण एवं रजिस्ट्रार अफिस में प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाये। पञ्जावली वाले तलबी प्रविष्टि के दिनांक 28.11.18 को पेश हो।

28.11.18 पञ्जावली पेश हुई। वकील अरिफ सिद्दीक अउर अमरिन्दर सिन्हा द्वारा दस्तावेजीकरण एवं रजिस्ट्रार अफिस में प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाये। पञ्जावली वाले तलबी प्रविष्टि के दिनांक 19/12/18 को पेश हो।

19.12.18 पञ्जावली पेश हुई। वकील अरिफ सिद्दीक अउर अमरिन्दर सिन्हा द्वारा दस्तावेजीकरण एवं रजिस्ट्रार अफिस में प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाये। पञ्जावली वाले तलबी प्रविष्टि के दिनांक 2/1/19 को पेश हो।

2.1.19 पञ्जावली पेश हुई। वकील अरिफ सिद्दीक अउर अमरिन्दर सिन्हा द्वारा दस्तावेजीकरण एवं रजिस्ट्रार अफिस में प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जाये। पञ्जावली वाले तलबी प्रविष्टि के दिनांक 20/2/19 को पेश हो।

13/3/19

पत्रावली डाक पेशी पर लायी जाकर पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते निलंबना पेश हुयी। पुनर्वनी दिनांक 10/4/2019 को पेश हो।

10/4/19

वृद्धमान फरिक्तेन उपरी वास्ते तलबी दि 08/5/19 को पेश हो।

8/5/19

पत्रावली पेश हुयी। गरीब फरीक्तेन उपरी पत्रावली, P.O. सा. अरौली मीटिंग केंद्रों के कारण रूनी नुसार दि. 10/6/19 को पेश हो।

19.6.19

पत्रावली पेश हुयी। वादीगण की ओर से कोर्ट उपर नहीं। एक आवत (आपत्ति) के दिमा जाया दिनांक 10/7/19 को पेश हो।

10/7/19

पत्रावली पेश हुयी। वादीगण एवं वकील वादीगण कोर्ट उपस्थित नहीं है। पत्रावली में सुनवाई वास्ते बार बार आवत दिमा गई। जिसके बाद भी कोर्ट उपस्थित नहीं है। अतः आवत वादीगण अदालत परकी अदालत हाजिरी में अवारिज किम जाता है। पत्रावली केसल सुनवाई होकर गण्य हुकम की जायज नही